

तारीख हुक्म	न्यायालय :- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा हुक्म या कार्यवाही :- इनिशियल्स जज सेशन प्रकरण संख्या: 198/2020 अनवान राज्य बनाम बबलू व अन्य	नम्बर इस
----------------	---	-------------

दिनांक :- 29.01.2026

- लोक अभियोजक उपस्थित।
- अधिवक्ता अभियुक्तगण उपस्थित।
- अभियुक्तगण बबलू तथा सुनीता बरजमानत उपस्थित।

गवाह अनुपस्थित का गिरफ्तारी वारण्ट अदम में लौटकर प्राप्त हुआ है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त गवाह स्वयं पुलिसकर्मी होते हुए न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं आ रहा है और न ही उसकी तामील संभव हो पा रही है। अतः गवाह **मनोज सिंह** को पुनः गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया जावे। गवाह को जर्गे पुलिस अधीक्षक तलब किया जावे। वारण्ट पर नोट अंकित किया जावे कि गवाह प्रकरण का अंतिम साक्षी है, गवाह जर्गे वी.सी. साक्ष्य लेखबद्ध करवाए, यह प्रकरण न्यायालय के लक्षित प्रकरणों की सूची में शुमार है अतः गवाह को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत् पाबंद किया जावे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 11.2.2026 को पेश हो।

सेशन न्यायाधीश
कोटा (राज०)

वे बलू
र. नि
इति

